☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फैक्स : 07582 - 222070, 224543
E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक ..126.../स्टेनो/2020 सागर, दिनांक 16–04–2020

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 122/स्टेनो/2020 दिनांक 15–04–2020 द्वारा सम्पूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए चिकित्सकीय सहायता/ आवश्यकता जैसी आपवादिक असामान्य परिस्थितियों के सिवाय किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने से प्रतिबंधित किया गया हैं, किन्तु इसके उपरांत भी देखने में आ रहा है कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के उक्त आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हैं, जिससे सोशल डिस्टेसिंग भंग होकर कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की प्रबल आशंका निर्मित हो गई हैं । अतः उक्त श्रेणी के अपचारी व्यक्तियों पर धारा 188 भा0द0सं0 तथा द0प्र0सं0 1973 की धारा 107, 116 एवं 151 के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार करना आवश्यक हो गया हैं । चूंकि सागर शहर में स्थित केन्द्रीय जेल में अति–संकुलता की स्थिति होने एवं कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका दृष्टिगोचर होने से उक्त कार्यवाही के तहत गिरफ्तार किये गये लोगों को परिरूद्ध करने के लिए अस्थाई कारागार बनाया जाना आवश्यक हैं ।

अतः मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर कानून व्यवस्था की दृष्टि से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 एवं 7 सपठित द0प्र0सं0 1973 की धारा 417 के अंतर्गत राज्य शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीडिश मिशन स्कूल सागर को आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित करती हूँ ।

अधीक्षक केन्द्रीय जेल जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि अस्थाई कारागार में परिरूद्ध किये जाने वाले बंदियों का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाये ।

पुलिस अधीक्षक जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अस्थाई कारागार में परिरूद्ध किये जाने वाले बंदियों की अभिरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त करें ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

Collector And District Magistrate

COLLECTOR
SAGAR

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 126/स्टेनो /2020 सागर, दिनांक 16–04–2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह (सी–अनुभाग), मंत्रालय भोपाल, वल्लभ भवन की ओर आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सम्प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जेल विभाग, मंत्रालय भोपाल, वल्लभ भवन की ओर आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सम्प्रेषित ।
3. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

Scanned with CamScanner

4. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी सागर /अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सागर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि घोषित अस्थाई जेल में सुरक्षा तथा पेयजल आदि की आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें ।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संचालक प्रबंधक, स्वीडिश मिशन स्कूल, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. स्टेनो टू-कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
15. उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।

COLLECTOR
SAGAR

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म०प्र०)

Collector And District Magistrate ... SAGAR

Scanned with CamScanner